न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 168/2014

उनवान

1. मुकेश कुमार जिन्दल (एचयूएफ) कर्ता पुत्र श्री महेश जिन्दल जाति अग्रवाल नि. 224 सदर बाजार, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. नानी पत्नी सुगना **(तर्क)**
2. हनुमान पि. सुगना **(तर्क)**
3. सूरजकरण
4. भगवान
5. रिद्वकरण **(तर्क)**
6. देवकरण पि. रामकिशन
7. सुरेश
8. कान्ता
9. सुगन्ता पि. सोजी
10. रतनलाल पि. नारायण जाति जाट नि. देराठू, नसीराबाद
11. गोपाल पि. सांवरा जाति जाट नि. दिलवाडा, नसीराबाद
12. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 12 जरियें राज0 पैरोकार, 3, 4, 6 से 11 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राज. काश्त. अधि. 1955 व धरा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.2.21

वादी ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 देराठू के खसरा नम्बर 2599/0.03, 2600/0.04, 2601/0.38, 2602/0.48, 2603/0.42, 2601/7121 रकबा 0.17, 2594/0.03, 2597/0.15, 2601/7120 रकबा 0.05, 2599/7122 रकबा 0.03, 2596/0.41, 2598/0.08 की आराजियात वादी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कजा व दखल मौके पर प्राप्त कर लिया था। उपरोक्त विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम राजस्व अभिलेख में पालना तो हुयी किन्तु पालना करते समय वादी के नाम के साथ एच0यू0एफ0 अंकित नही किया। जिस कारण वादी को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी के नाम के साथ एच0यू0एफ0 अंकित कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाब्रंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 की मुत्यु होने के कारण वकील वादी के निवेदन पर उनका नाम तर्क किया गया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे। शेष प्रतिवादी के विरूद्ध विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवही अमल में लायी गयी।

अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि [illegible] तथा प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:53:30 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। पत्रावली में सलंग्न विक्रय पत्र दिनांक 23.07.09, 11.11.09, 29.03.12 की प्रति अनुसार क्रेता मुकेश कुमार जिन्दल

उपखण्ड अधिकारी

के नाम के साथ कोष्ठक में एच0यू0एफ0 दर्ज किया हुआ है। उक्त विकय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में वादी के नाम कर दी गयी है किन्तु वादी के नाम के साथ एच0यू0एफ0 दर्ज नही किया है। वादी के कथन अनुसार उक्त आराजी उसके द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार की आय से कय की है। अतः राजस्व अभिलेख में एच0यू0एफ0 दर्ज किया जाना आवश्यक है। विकय पत्र में वादी के नाम के साथ एच0यू0एफ0 अंकित है इसके आवजूद नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी के नाम के साथ एच0यू0एफ0 अंकित नही किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। एच0यू0एफ0 अंकित करने से प्रतिवादीगण के हितोकं पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण ने वाद के तथ्यों का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है।

अतः ग्राम व प0म0 देराठू के खसरा नम्बर 2599/0.03, 2600/0.04, 2601/0.38, 2602/0.48, 2603/0.42, 2601/7121 रकबा 0.17, 2594/0.03, 2597/0.15, 2601/7120 रकबा 0.05, 2599/7122 रकबा 0.03, 2596/0.41, 2598/0.08 की आराजियात पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर विकय पत्रो के अनुसार मुकेश कुमार जिन्दल (एच0यू0एफ0) कर्ता मुकेश कुमार जिन्दल पुत्र महेश चन्द जिन्दल दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:53:30 IST
Reason: SelfAttested

उनवान

मुकेश कुमार बनाम नानी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 168/2014
पेश करने की दिनांक – 18.12.14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)--व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम व प0म0 देराठू के खसरा नम्बर 2599/0.03, 2600/0.04, 2601/0.38, 2602/0.48, 2603/0.42, 2601/7121 रकबा 0.17, 2594/0.03, 2597/0.15, 2601/7120 रकबा 0.05, 2599/7122 रकबा 0.03, 2596/0.41, 2598/0.08 की आराजियात पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख पर विक्रय पत्रो के अनुसार मुकेश कुमार जिन्दल (एच0यू0एफ0) कर्ता मुकेश कुमार जिन्दल पुत्र महेश चन्द जिन्दल दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 02 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुदई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:53:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद